

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1595 / 2013 / अलवर.

मैसर्स मुकेश ऑयल मिल्स प्रा0 लिमिटेड,
ई-59, इण्डस्ट्रियल एरिया, खैरथल, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी (राजस्थान)
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान.
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/09/2016

निर्णय


1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी के आदेश क्रमांक STE/07/2013-14/403 दिनांक 30.07.2013, जो कि जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 08.07.2013 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जारी किया गया है, के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी के समक्ष बिक्री कर मुक्ति योजना, 1998 (जिसे आगे 'योजना' कहा जायेगा) के तहत अपनी इकाई के विस्तार हेतु योजना के क्लॉज 2(जी) के तहत आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2001 को प्रस्तुत किया गया। छानबीन समिति की बैठक दिनांक 26.05.2003 में व्यवहारी इकाई को योजना का पात्र नहीं मानते हुए, इकाई का प्रार्थना-पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि व्यवहारी इकाई द्वारा योजना के क्लॉज-2(जी) के तहत विस्तार के पश्चात प्रथम वर्ष में अपने उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि नहीं की गयी है। व्यवहारी इकाई द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील, माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 10.08.2004 से स्वीकार करते हुए, निर्णीत किया गया कि योजना के क्लॉज 2(जी) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विस्तार के पश्चात प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना आवश्यक हो। इसके साथ ही जिला स्तरीय छानबीन समिति को निर्देशित किया गया कि व्यवहारी को योजना का पात्र मानते हुए, नियमानुसार जांच के उपरान्त पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जावे। माननीय कर बोर्ड के

लगातार.....2

आदेश दिनांक 10.08.2004 की पालना में जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा बैठक दिनांक 19.02.2005 में प्रकरण को लिया जाकर, पुनः उसी आधार पर योजना के लिये पात्र नहीं माना गया कि व्यवहारी द्वारा विस्तार के पश्चात प्रथम वर्ष में अपने उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि नहीं की गयी है। उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा पुनः माननीय कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 07.08.2007 से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः जिला स्तरीय छानबीन समिति को प्रतिप्रेषित किया गया कि व्यवहारी को योजना का पात्र मानते हुए, योजना का लाभ प्रदान किया जावे। जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश की पालना नहीं किये जाने पर व्यवहारी द्वारा पुनः माननीय कर बोर्ड के समक्ष विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 04/2010 प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 19.03.2013 से विविध प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए जिला स्तरीय छानबीन समिति को निर्देशित किया कि नियमानुसार जांच उपरान्त व्यवहारी को योजना का लाभ प्रदान किया जावे। जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा बैठक दिनांक 08.07.2013 में पूर्वानुसार ही व्यवहारी को योजना का पात्र नहीं मानते हुए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया। जिला स्तरीय छानबीन समिति के आदेश दिनांक 08.07.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि व्यवहारी द्वारा योजना के तहत सभी वांछित आवश्यकतायें पूर्ण कर प्रार्थना-पत्र जिला उद्योग केन्द्र के प्रस्तुत किया गया था। जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा व्यवहारी को बिना किसी आधार के योजना का पात्र नहीं मानते हुए योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस बाबत माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2004; 07.08.2007 व 19.03.2013 पारित करते हुए व्यवहारी को योजना के क्लॉज-2(जी) के तहत पात्र मानते हुए, प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि व्यवहारी को योजना का लाभ प्रदान किया जावे, किन्तु जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक आदेश में माननीय कर बोर्ड के आदेशों की अवहेलना करते हुए व्यवहारी को योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करते हुए, जिला स्तरीय छानबीन समिति को व्यवहारी इकाई को योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया है।



4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने जिला स्तरीय छानबीन समिति के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी इकाई योजना के क्लॉज 2(जी) के तहत वांछित योग्यतायें पूर्ण नहीं करती है, अतः योजना का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के सन्दर्भ में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(8)एफडी/टैक्स डिवी./98 दिनांक 7.4.1998 के बिन्दु संख्या 4 में निम्न अंकन किया गया है -

S.No. 1131 : F.14(8)FD/Tax Divn/98 dated 7.4.1998

S.O. 11.- In exercise of the powers conferred S.15, RST Act, 1994, and S.8(5), CST Act, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the "The Rajathan Sales Tax/Central Sales Tax Exemption Scheme for Industries, 1998" (hereinafter referred to as the Exemption Scheme or this Scheme), and exempts the industrial units from payment of tax on the intra-State sales/inter-State sales of the goods and by products manufactured by them within the State, including the waste items derived therefrom and the packing material used therewith, in the manner, to the extent and for the period as specified in this notification.

4. Sanction of benefits under the Exemption Scheme and issue of Eligibility Certificate -

(a) In order to avail the benefit under this Scheme, the applicant industrial unit shall have to obtain sanction from the State Level Screening Committee or District Level Screening Committee, as the case may be. The Screening Committees shall act as quasi-judicial authorities whose decisions shall be final, subject to other provisions provided for in this Scheme.

(b) The State Level Screening Committee which shall be competent to grant sanction of benefits under this scheme to Large Scale Units and to dispose of cases referred to by District Level Committees, shall consist of the following :-

1. Principal Secretary Industries	Chairman
2. Managing Director, RFC	Member
3. Managing Director, RIICO	Member
4. Commissioner, Commercial Taxes	Member
5. Commissioner/Director, Industries	Member-Secretary

लगातार.....4

(c) The District Level Screening Committee which shall be competent to sanction benefits to SSI Units under this Scheme, shall consist of the following :-

- | | |
|--|------------------|
| 1. Collector of the District | Chairman |
| 2. Any Officer nominated by the Commissioner,
Commercial Taxes | Member |
| 3. Concerned Branch Manager of RFC | Member |
| 4. Senior Regional Manager/Regional Manager of
RIICO where it is the lead institution | Member |
| 5. General Manager, District Industries Centre | Member Secretary |


(d) An industrial unit, eligible to claim benefits under this Scheme, shall make an application in four sets in appropriate Form A-1/A-2/A-3/A-4 along with affidavit in Form-B, duly attested, appended to this notification to the Member Secretary of the appropriate Screening Committee within one hundred eighty days from the date of the commencement of this Scheme or the date of the commencement of commercial production, or the date of commencement of expanded or diversified production, or the date of declaration of sickness, or the date of transfer of the whole project or the date of change of management of a unit in any way, whichever is later. However, the appropriate Screening Committee may, on sufficient cause being shown, condone the delay not exceeding ninety days, in filing of the application.

(e) The appropriate Screening Committee shall, after having examined the application of an industrial unit and after having gathered or collected such other information, documents or evidence as may be considered necessary and after having got conducted such further enquiry as deemed proper in the circumstances of the case, sanction the benefits under this Scheme to the said unit if it is found fully covered by the provisions of this Scheme and is not in any way debarred or disqualified to claim the said benefits. However, in particular, the said Screening Committee shall reject the application of the applicant unit,-

(i) where its case does not fall within the parameters of this Scheme, or

(ii) where it has failed in spite of adequate opportunity being given, to supply any information asked for or adduce any evidence required for, or

(iii) where any case of avoidance or evasion of tax is pending against it at any forum or it is found penalised for such offence, within a period of two years immediately preceding the date of the filing of the application; however, the said Screening Committee may waive this disqualification in an appropriate case if the offence is technical or venial in nature or has been compounded.



(f) In case of sanction of benefits under the Scheme, such sanction shall be communicated in writing to the Assessing Authority of the applicant unit, who shall issue Eligibility Certificate to the said unit in Form-C, appended to this notification, within a period of seven days from the date of the receipt of the sanction, and a copy of such Certificate shall also be sent to the Member-Secretary of the concerned Screening Committee.

(g) The Eligibility Certificate issued under this Scheme shall remain in force till the permissible exemption from tax in accordance with the provisions of this Scheme is not exhausted, or till such Certificate is not amended,, suspended or revoked.


(h) The benefits under this Scheme shall be available from the date of the application filed by the applicant unit completed in all respects, as certified by the Member Secretary of the appropriate Screening Committee.

(i) During the currency of the Eligibility Certificate, the unit concerned shall be exempted from payment of tax on the intra-State sales/inter-State sales of the goods and by-products manufactured by it within the State, including the waste items derived therefrom and the packing material used therewith.

(j) The DLSC Shall dispose of the application made under this Scheme within a period of ninety days of the filing of the completed application. However, if for any reason the application is not disposed of within the said time limit a reference along with reasons of delay shall be made by the Member-Secretary of DLSC to the Commissioner, Industries, who may grant further extension upto ninety days having regard to the reasons explained in that case. In case, where the DLSC fail to dispose of the application even within the extended period, such application shall stand transferred to the Commissioner, Industries, who in turn shall within thirty days from the date of receipt of records, place that application after due scrutiny before the SLSC for disposal.

(k) The SLSC Shall dispose of the application made under this Scheme within a period of ninety days of the filing of a completed application. However, this period of ninety days may be extended by the SLSC for a further period(s) not exceeding ninety days.

7. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठों द्वारा प्रकरण में दिनांक 10.08.2004; 07.08.2007 व 19.03.2013 को निम्न निर्णय पारित करते हुए जिला स्तरीय छानबीन समिति को निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :-



लगातार.....6

अपील संख्या-1015/2003/अलवर निर्णय दिनांक 10.08.2004

“इस क्लॉज के पठन से प्रकट होता है कि विस्तार हेतु कर छूट स्वीकृत करने के लिये फिक्स केपिटल इन्वेस्टमेंट तथा उत्पादन में स्थापित क्षमता की 25 प्रतिशत वृद्धि होना आवश्यक है। इस इकाई में विस्तार से पूर्व फिक्स केपिटल इन्वेस्टमेंट 85.51 लाख रू० था तथा विस्तार हेतु इसमें 30.72 लाख रू० की वृद्धि की गई जो निश्चित रूप से 25 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार इकाई की विस्तार से पूर्व स्थापित क्षमता 11.880 मैट्रिक टन थी जिसमें 4,752 मैट्रिक टन अर्थात् 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्लॉज में दिये गये स्पष्टीकरण प्रथम के अनुसार यह भी आवश्यक है कि विस्तार से पूर्व एक वर्ष में कम से कम स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत उत्पादन किया गया हो। स्वयं जिला स्तरीय छानबीन समिति के अनुसार विस्तार से पूर्व एक वर्ष में वास्तविक उत्पादन 12875.46 मैट्रिक टन रहा है जो स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से कहीं अधिक है। ऐसी कोई शर्त क्लॉज 2(जी) में नहीं है कि विस्तार के बाद उत्पादन में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक हो। ऐसी परिस्थिति में जिला स्तरीय छानबीन समिति का निर्णय उचित नहीं ठहरता। स्पष्टीकरण द्वितीय के अनुसार कर छूट का लाभ उसी उत्पादन पर मिलेगा जो विस्तार के बाद स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकरण में जो स्पष्टीकरण इकाई द्वारा जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था उसमें छः माह में उत्पादन कम होने का कारण अकाल होना बताया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय छानबीन समिति ने अपने निर्णय दिनांक 26.5.2003 द्वारा प्रकरण सहानुभूति की दृष्टि से आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को प्रतिप्रेषित करने का भी निर्णय लिया है। जिला स्तरीय छानबीन समिति की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि आयुक्त, उद्योग विभाग ने पत्रावली के पृष्ठ 149 पर संलग्न पत्र दिनांक 1.9.2003 द्वारा प्रकरण में पुनः जिला स्तरीय छानबीन समिति को निर्णय करने के निर्देश दिये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2003 उचित नहीं पाया जाता है अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः जिला स्तरीय छानबीन समिति को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियमों के अनुसार जांच कर एवं अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में नये सिरे से आदेश पारित करें।”

लगातार.....7

अपील संख्या-727/2005/अलवर निर्णय दिनांक 07.08.2007

“दोनों पक्षों को सुना गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 10.8.2004 तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। माननीय खण्डपीठ ने प्रकरण में निर्णय दिया है कि “इस इकाई में विस्तार से पूर्व फिक्स केपिटल इन्वेस्टमेंट 85.51 लाख रू० था तथा विस्तार हेतु इसमें 30.72 लाख रू० की वृद्धि की गई जो निश्चित रूप से 25 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार इकाई की विस्तार से पूर्व स्थापित क्षमता 11.880 मैट्रिक टन थी जिसमें 4,752 मैट्रिक टन अर्थात् 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्लॉज में दिये गये स्पष्टीकरण प्रथम के अनुसार यह भी आवश्यक है कि विस्तार से पूर्व एक वर्ष में कम से कम स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत उत्पादन किया गया हो। स्वयं जिला स्तरीय छानबीन समिति के अनुसार विस्तार से पूर्व एक वर्ष में वास्तविक उत्पादन 12875.46 मैट्रिक टन रहा है जो स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से कहीं अधिक है। ऐसी कोई शर्त क्लॉज 2(जी) में नहीं है कि विस्तार के बाद उत्पादन में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक हो।” इस प्रकार माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि इकाई को योजना के क्लॉज 2(जी) के अन्तर्गत कर से छूट की पात्रता हेतु योग्य माना है। ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय छानबीन समिति का निर्णय दिनांक 19.2.2005 उचित नहीं है जिसे अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इकाई को योजना के तहत पात्र माना जावे एवं अन्तर्गत तथ्यों जैसे मान्य स्थाई पूंजी निवेश राशि, लाभ की अवधि, लाभ की मात्रा आदि के संबंध में नियमानुसार निर्णय लें।”

अपील संख्या-727/2005/अलवर निर्णय दिनांक 07.08.2007

“माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 10.8.2004 तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। माननीय खण्डपीठ ने प्रकरण में निर्णय दिया है कि “इस इकाई में विस्तार से पूर्व फिक्स केपिटल इन्वेस्टमेंट 85.51 लाख रू० था तथा विस्तार हेतु इसमें 30.72 लाख रू० की वृद्धि की गई जो निश्चित रूप से 25 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार इकाई की विस्तार से पूर्व स्थापित क्षमता 11.880 मैट्रिक टन थी जिसमें 4,752 मैट्रिक टन अर्थात् 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्लॉज में दिये गये स्पष्टीकरण प्रथम के अनुसार यह भी आवश्यक है कि विस्तार से पूर्व एक वर्ष में कम से कम स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत उत्पादन किया गया हो। स्वयं जिला स्तरीय छानबीन समिति के अनुसार विस्तार से पूर्व एक वर्ष में वास्तविक उत्पादन 12875.46 मैट्रिक टन रहा है जो स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से कहीं अधिक है। ऐसी

लगातार.....8

कोई शर्त क्लॉज 2(जी) में नहीं है कि विस्तार के बाद उत्पादन में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक हो।" इस प्रकार माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि इकाई को योजना के क्लॉज 2(जी) के अन्तर्गत कर से छूट की पात्रता हेतु योग्य माना है। ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय छानबीन समिति का निर्णय दिनांक 19.2.2005 उचित नहीं है जिसे अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इकाई को योजना के तहत पात्र माना जावे एवं अन्तर्गत तथ्यों जैसे मान्य स्थाई पूंजी निवेश राशि, लाभ की अवधि, लाभ की मात्रा आदि के संबंध में नियमानुसार निर्णय लेवे।"

अतः उक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये यह पीठ जिला स्तरीय छानबीन समिति को यह निर्देश देती है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2007 के जरिये उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों की पालना इस आदेश प्राप्ति के 2 माह में करना सुनिश्चित करें एवम् इस पीठ को अवगत करवायें।

परिणामतः, उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।"

8. माननीय राजस्थान बिक्री कर अधिकरण, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर.टी.जे.एस. (15) पार्ट-1 पेज 144 मैसर्स श्री गुलाब एन्टरप्राइजेज, फतेहनगर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर में निम्न निर्णय दिया गया है :-


"3. In our opinion, the D.L.S.C. was not at all justified in declining to adjudicate the application of the dealer, merely on the ground that the revision petition has been filed by the said Committee against the order of the Tribunal. It may be stated that no such order was issued by the Hon'ble High Court. The filling of a revision petition does not operate as a stay order. Since the matters arising under the New Intensive Scheme are urgent or important, we expect that the authorities entrusted with these matters must act accordingly."

9. इस सन्दर्भ में वेट अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) एवं (10) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

83. Appeal to the Tax Board. -

(1) An appeal shall lie to the Tax Board against -

- (a) an order passed by the Commissioner under subsection (2) of section 26, section 36, section 77 or section 85;



लगातार.....9


- (b) an order passed under the Act by the Deputy Commissioner (Administration);
- (c) an order passed by an appellate authority; and
- (d) an order of the State Level Screening Committee or the District Level Screening Committee passed under the Incentive, Exemption or Deferment Schemes notified under section 8 or under sub-section (3) of section 20 of the Act.


(10)The Tax Board shall, after giving both the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit and send a copy thereof to the appellant, the assessing authority, the authority whose order was appealed against and the Commissioner.

10. प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा व्यवहारी को योजना के क्लॉज-2(जी) के तहत पात्र मानते हुए, प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि व्यवहारी को योजना का लाभ प्रदान किया जावे, किन्तु जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा कर बोर्ड के निर्देशों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए, अपीलार्थी इकाई को योजना का पात्र नहीं मानते हुए, योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला स्तरीय छानबीन समिति ने अनवरत अपने कर्तव्य का पालन करने में त्रुटि कारित की है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं योजना के प्रावधानों का विवेचन, विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी इकाई को योजना का पात्र मानते हुए लाभ प्रदान किये जाने हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति को स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद, समिति द्वारा अपीलार्थी को योजना का लाभ नहीं दिया जाना कर्तव्य पालना नहीं करने के दोषी हैं।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, जिला स्तरीय छानबीन समिति का आदेश दिनांक 08.07.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला स्तरीय छानबीन समिति को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को योजना का लाभ प्रदान करते हुए, योजना की अवधि भी लाभ प्रारम्भ करने की दिनांक से निर्धारित की जावे।

12. निर्णय सुनाया गया।


19.08.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष